

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 101/2016-17 (रेलवे) 683 / भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 27/6/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- महादेवकित्ता सीट नं0-1, थाना नं0- 163, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई ए.एम.सी.एस. प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- महादेवकित्ता सीट नं0-1, थाना नं0- 163, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 7.252 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।


क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकबा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2	निजी	धानी II	6.609	0.8930	धनंजय सिंह, पिता- स्व0 काली प्र0 सिंह	1	3	2 अंश	2 अंश
2		4	निजी	धानी II	0.537	0.8930	शालीग्राम सिंह, पिता- स्व0 विक्रम सिंह	3	अरम्बा	4 अंश	जोगीडीह
3						0.4460	उपेन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 विन्देश्वरी प्र0 सिंह				
4						0.1120	गोपाल कृष्ण सिंह, पिता- स्व0 राधारमण सिंह				
5	3					0.1120	जवाहर लाल सिंह, पिता- स्व0 राधारमण सिंह				
6						0.1120	हीरा लाल सिंह, पिता- स्व0 राधारमण सिंह				
7						0.1120	श्रीकृष्ण सिंह जोरावर, पिता- स्व0 राधारमण सिंह				
8						0.4460	सुभाष चन्द्र सिंह, पिता- स्व0 श्रीपति सिंह				
9						0.2230	प्रदीप कुमार सिंह, पिता- स्व0 श्यामलाल सिंह				

10					0.2230	आशुतोष सिंह, पिता- स्व० करुणा सिंधु सिंह					
11					0.5950	कौशल्या देवी, पिता- स्व० मदन मोहन सिंह					
12					0.1990	बसंत ना० सिंह, पिता- स्व० मथुरा प्र० सिंह					
13					0.1990	प्रताप ना० सिंह, पिता- स्व० मथुरा प्र० सिंह					
14					0.1990	विभूति सिंह, पिता- स्व० मथुरा प्र० सिंह					
15					0.5950	किंगकम सिंह, पिता- स्व० राजगीरी सिंह					
16					0.4470	श्रवण सिंह, पिता- स्व० डोरन प्र० सिंह					
17					0.1490	दीप ना० सिंह, पिता- स्व० जुठन प्र० सिंह					
18					0.1490	देवेन्द्र ना० सिंह, पिता- स्व० जुठन प्र० सिंह					
19					0.1490	मुकुन्द सिंह, पिता- स्व० जुठन प्र० सिंह					
20					0.2230	जयप्रकाश सिंह, पिता- स्व० किशोरी प्र० सिंह					
21					0.2230	वीर कुंवर सिंह, पिता- जयनारायण सिंह					
22					0.4470	संतोष सिंह, पिता- स्व० लाल बिहारी सिंह					
23	14	3	सरकारी	नाली	0.106	0.106	अर्जन से वर्हिगत	2	4	3	3
कुल रकवा :-					7.252	7.252	एकड़				

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु श्री राहुल जी आनंद जी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/श्री पवन कुमार, अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, पथरगामा और उनके कर्मचारी- श्री विनय कुमार ठाकुर, कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री राहुल जी आनंद जी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/श्री पवन कुमार, अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



27/6/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक683...../भू0अ0 दिनांक :- 27/6/18

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


27/6/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक683...../भू0अ0 दिनांक :- 27/6/18

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, पथरगामा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पथरगामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।


27/6/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 693/भूअ0 दिनांक : 27/6/18

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
गोडडा।